

10/6/24

इसलिए वसुधा जमीनी एवं बेरोपार जमीन
 एवं इलेक्ट्रिक विद्युतीकरण उपर हमारे
 पारदर्शी का अवलोकन किया (अधीनस्थ)
 ग्राम जालमपुरा के खेत पर
 40 एवं 41 में अंकित नाम चांदीबंद
 पत्नी चम्पलाल के बजार चांदीबंद
 पत्नी कमलदेगा तथा चम्पलाल पितृ
 भावना देगा के बजार चम्पलाल
 पितृ भावना देगा के बजार कमलदेगा
 पितृ भावना देगा के अंकित किए गए
 हेतु इन्हेंगत धारा 136 CRP Act के तहत
 धारणा पर प्रस्तुत किया है।

धारा 136 CRP Act के तहत जल सेलमेवर
 के मुद्दोंके संबंध में कोई प्रारि
 रह जाती है तो उसे सुद्धि किए जाने के
 आवश्यक है, जबकि प्रस्तुत प्रकारा नाम
 परिवर्तन किए जाने का मत है, जिससे
 प्रकारा धारा 136 CRP Act के तहत पोषणीय
 पर धारणा किया जाय है। धारणा
 के लिए सुझा दिए गए हैं।

(बीनू देवल)

सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)